# Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

मदन मोहन वगै0 बनाम घीस्या वगै0

अपील संख्या अन्तर्गत धारा 223 आर टी एक्ट अपील संख्या 54/25 GCMS NO 2025/104

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 22.01.26 | उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की दावे की पत्रावली अपील पत्रावली के साथ संलग्न की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट विरूद्व प्रतिवादीगण/रेस्पो0 पेश कर वादग्रस्त प्लाट कस्बा करौली अजनाम चौबे कालोनी करौली मे प्रतिवादीगण द्वारा जबरन पक्की दीवार मार्क बी से ई तक निर्माण कर ली है उसे मेडेटरी व्यादेश से हटाने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की इस्तदुआ चाही गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र क्षैत्राधिकार के आधार पर खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादी द्वारा यह अपील पेश की गई है।<br>अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व तरीके से वाद पत्र को क्षैत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज किया है। जबकि अपीलांट द्वारा वाके कस्बा करौली अजनाम चौबे कॉलोनी मे प्लाट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया है। जिसमे प्रतिवादीगण द्वारा जबरन खसरा न0 5798 मे वादीगण/अपीलांट द्वारा खरीद किये गये प्लाट मे पक्की दीवार कर लिया है जिसे हटवाया जावे एवं प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि भूमि मे किसी प्रकार का निर्माण नही करे तथा अपीलांट/वादीगण के इस्तेमाल व आवागमन मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।<br>रेस्पो0 के अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि नही है। वादी/अपीलांट द्वारा खसरा न0 5798 मे केवल एक प्लाट खरीदा है जिसकी नीव भी वादी द्वारा भरी जा चुकी है। इस प्रकार वादग्रस्त प्लाट कृषि योग्य नही है। राजस्व न्यायालय को केवल कृषि भूमि से सबंधित वादो को सुनने का अधिकार प्राप्त है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से वादी का वाद | |

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

पत्र क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज किया है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटी नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन स्वीकृत तथ्य है कि उसके द्वारा आराजी खसरा न0 5798 मे से केवल एक प्लाट रेस्पो/प्रतिवादीगण के पिता बुद्दू पुत्र हीरा से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय किया गया है। जिसमे वादी/अपीलांट द्वारा नीव भरकर निर्माण किया हुआ है। अपीलांट द्वारा जिस भूमि के बाबत स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई है उक्त भूमि कृषि योग्य भूमि हो एवं वर्तमान मे कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हो रही हो इस सबंध मे किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से वादी/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 28/23 मे पारित निर्णय दिनांक 21.3.25 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर